तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2023	पत्रावली दिनांक 03.04.2023 को आवकाश होने से आज पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। बहस प्रार्थी वकील की सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम करमावास तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 675/207 रकबा 8.1099 हैक्टेयर के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 1000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर

क्रमांकः वाद/2023/2422

दिनांक : 17.4.23

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
केवलचन्द पुत्र बादरमल		श्रेणीदान पुत्र खीमदान वगैरा (5)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं:–02/2022

निर्णय दिनांक :–06.04.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम करमावास तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 675/207 रकबा 8.1099 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना(बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2023/2423 – 2426

दिनांक : 17.4.2023

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी करमावास को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी केवलचन्द पुत्र बादरमल जाति जैन निवासी करमावास को सूचनार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सिवाना (बाड़मेर) *

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना(बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर

क्रमांकः वाद/2023/2422

दिनांक : 17.4.23

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
केवलचन्द पुत्र बादरमल		श्रेणीदान पुत्र खीमदान वगैरा (5)

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 , 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं:–02/2022

निर्णय दिनांक :–06.04.2023

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम करमावास तहसील समदड़ी के खसरा संख्या 675/207 रकबा 8.1099 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/–प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांकः वाद/2023/2423 – 2426

दिनांक : 17.4.2023

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदड़ी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदड़ी
3. हल्का पटवारी करमावास को तहसीलदार समदड़ी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी केवलचन्द पुत्र बादरमल जाति जैन निवासी करमावास को सूचनार्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)